

उत्तर प्रदेश शासन
चिकित्सा अनुभाग-6
संख्या- २९१५/पांच-६-१०-२३रिट/११
लखनऊ: दिनांक: ०५ दिसम्बर २०११
कार्यालय ज्ञाप ३१९१५

मोहम्मद हाशिम इदरीसी चेयरमैन बोर्ड आफ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन उ०प्र०० द्वारा रिट याचिका संख्या 4688/2011 यू०पी० डेवलपमेन्ट आफ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक सिस्टम आफ मेडिसिन बनाम उ०प्र०० राज्य व अन्य में मा० उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 18.05.11 के अनुपालन में यह अवगत कराते हुये कि बोर्ड आफ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन उ०प्र००, भारत सरकार के आदेश दिनांक 25.11.03 एवं 05.05.10 के अनुसार ही समान अवधि के समान पाठ्यक्रम संचालित कर इलेक्ट्रो होम्योपैथी पद्धति की शिक्षा, चिकित्सा, रजिस्ट्रेशन, अनुसंधान एवं विकास हेतु कार्य करता है, अपना प्रत्यावेदन दिनांक 15.12.11 प्रेषित करते हुए भारत सरकार द्वारा पारित आदेश संख्या V25011/276/2009-HR दिनांक 05.05.10 के अनुरूप निस्तारित किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- रिट याचिका संख्या 4688/2011 यू०पी० डेवलपमेन्ट आफ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक सिस्टम आफ मेडिसिन बनाम उ०प्र०० राज्य व अन्य में मा० उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 18-05-11 को पारित आदेश का अनुपालनीय अंश निम्नवत् है-

“We without enterinting into the claim of the petitioner, dispose of the writ petition with a direction that the representation of the petitioner shall be considered and decided by the authority concerned expeditiously say; within a maximum period of eight weeks from the date of receipt of the ceritfied copy of this order.”

3- मा० उच्च न्यायालय के उपरिसन्दर्भित आदेशों के आलोक में प्रकरण से सम्बन्धित पत्रावली एवं उसमे उपलब्ध पत्रजात आदि का गहराई से परिशीलन किया गया। इस प्रकरण के संबंध में भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, द्वारा दिनांक-05.05.10 को एक विस्तृत आदेश पारित किया गया है। जिसे यहाँ उद्घृत करना उपयुक्त प्रतीत होता है।

‘यह आदेश 1991 की सिविल रिट याचिका संख्या-31904 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के दिनांक-03.08.09 के आदेश के अनुसरण में पारित किया जाता है जिसमें न्यायालय ने निर्देश दिया है कि “याचिकाकर्ता” विभिन्न उच्च न्यायालयों एवं उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित विभिन्न आदेशों का अभिलेख प्रस्तुत करते हुए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, नई दिल्ली के समक्ष नए सिरे से अभ्यावेदन दे सकता है। यदि ऐसा अभ्यावेदन पाठ्यक्रम को मान्यता प्रदान करने के संबंध में होगा तो प्राधिकारी उस पर विचार करेगा और अभ्यावेदन के साथ इस आदेश की एक सत्यापित प्रति प्रस्तुत करने की तारीख से छह माह के भीतर एक सुविवेचित एवं आख्यापक आदेश द्वारा मामले पर

निर्णय देगा। यदि आवश्यक हो तो याचिकाकर्ता को प्रत्यर्थी द्वारा सुनवाई का वैयक्तिक अवसर प्रदान किया जाएगा।

एनईएचएम ने डा० एन०क०अवस्थी के जरिए सचिव के समक्ष एक अभ्यावेदन दिनांकित 28.10.09 फाइल किया जो 30.11.09 को प्राप्त हुआ। इस अभ्यावेदन में उठाए गए प्रमुख मुद्दे निम्नलिखित हैं:-

1. इलेक्ट्रोपैथी जड़ी-बूटी पर आधारित एक चिकित्सा पद्धति है और इसकी औषधें आसवित जल की सहायता से औषधीय पादपों से तैयार की जाती है। इसलिए इसकी औषधें शत-प्रतिशत सुरक्षित एवं रोगहर हैं।
2. किसी रोगी की मृत्यु के बारे में सरकार को एक भी शिकायत नहीं मिली है। सरकार के पास एक भी मामला दर्ज नहीं किया गया है।
3. इलेक्ट्रोपैथी के समर्थन में अनेक न्यायालयी निर्णय दिए गए हैं। इस दावे के समर्थन में अभ्यावेदन के साथ इन मामलों से संबंधित आदेशों की प्रतियां जल्मन की गई हैं।
4. न्यायालयी मामलों के अलावा, अभ्यावेदन में विश्व परिषद के साथ संबंधन, जी०बी०पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की रिपोर्ट, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण उपमंत्री के दिनांक-14.06.91 एवं 17.06.91 के पत्र; सरकारी चिकित्सा परिषदों के पत्र, संसदीय प्रश्नों के उत्तर, स्वास्थ्य सेवा निदेशालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार की अधिसूचना, गैर सरकारी विधेयक, पूर्व स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री के पत्र, इंडियन जर्नल आफ वेटरिनेरी मेडिसिन, पंजाब एम्ब्रिकल्ट्वर मैगजीन, लुधियाना में प्रकाशित लेख, जम्मू एवं कश्मीर सरकार की अधिसूचना और एस०एस०पी० आगरा (उत्तर प्रदेश) के पत्र, मध्य प्रदेश सरकार के पत्र तथा इलेक्ट्रोपैथी संबंधी कुछ प्रकाशन (पुस्तकें एवं पत्रिकाएं) भी प्रस्तुत किए गए हैं।
5. डा० अवस्थी ने अभ्यावेदन किया है कि स्वास्थ्य मंत्रालय को निर्णय का सम्मान करना चाहिए और इलेक्ट्रोपैथी चिकित्सा पद्धति के संबंधन विकास एवं अनुसंधान (शिक्षा एवं प्रैक्टिस) के लिए एनईएचएम को शुरू में कम-से-कम 15 वर्षों की अनुमति दे कर के इलेक्ट्रोपैथी चिकित्सा पद्धति को आश्रय देना चाहिए जिससे कि बना किसी बाधा के नई चिकित्सा पद्धति को मान्यता प्रदान करने के लिए आवश्यक मानदण्ड हासिल किए जा सकें।
6. मंत्रालय में अभ्यावेदन की जांच की गई। इसके तथ्य निम्नलिखित हैं-
 - (i) अपर जिला न्यायाधीश, दिल्ली द्वारा 1992 के बाद संख्या 27 के अंतर्गत दिनांक 14.08.92 के आदेश में निर्देश दिया गया है कि बाद की विचाराधीनता के दौरान वादी के कार्यकलाप के संबंध में कोई सार्वजनिक सूचना जारी न की जाए।
 - (ii) एफ०ए०ओ० संख्या 1998 का 1205 में दिल्ली उच्च न्यायालय के नवम्बर, 1998 का आदेश सार्वजनिक सूचना में ऐसा नहीं कहा जाएगा कि प्रत्यर्थी सं० 10 से डिप्लोमा/प्रमाण पत्र धारण करने

वाले व्यक्ति इलेक्ट्रो होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति की प्रैक्टिस करने के लिए पात्र नहीं है।

- (iii) एस0एल0पी0 संख्या 11262/2000 (भारत संघ बनाम नेचुरो इलेक्ट्रो होम्यो मेडिकोज ऑफ इंडिया) में 12.01.2000 को माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिया गया आदेश:

“प्रत्यर्थी के लिए विद्वत् काउंसेल ने बतलाया है कि उनके अनुदेशों के अनुसार अभिलेख पुस्तिका के पृष्ठ 4 पर उपदर्शित सीमा तक सी0डब्ल्यू0पी0 संख्या 4015/96 में उच्च न्यायालय द्वारा दिया गया आदेश याचिकाकर्ताओं द्वारा स्वीकर कर लिया गया है और मामले के मद्देनजर उच्च न्यायालय द्वारा दिया गया आक्षेपित निर्देश गैर-आपवादिक है”

“12.10.2000 को हमारे द्वारा दिए गए आदेश तथा इस बात के मद्देनजर कि कोई कार्यवाही शुरू नहीं की गई है, सी0डब्ल्यू0पी0 संख्या 4015/96 में दिए गए आदेश को चुनौती देते हुए हम मामले पर विचार करने से इनकार करते हैं।”

- (iv) जबलपुर, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के दिनांक 19.03.1999 के आदेश 2957/94 जिसमें अनिवार्यतः यह कहा गया था कि उनके द्वारा प्राप्त डिग्री/डिप्लोमा किसी भी विधि के अंतर्गत मान्यता प्राप्त नहीं है। वैकल्पिक चिकित्सा पद्धति में प्रैक्टिस किसी भी संविधि द्वारा विनियमित नहीं होती है और इसलिए विनियमन/प्रतिषेध के अभाव में उन्हें प्रैक्टिस बंद करने के लिए नहीं कहा जा सकता है। वैकल्पिक चिकित्सा पद्धति में प्रैक्टिस अथवा शिक्षण को शासित करने संबंधी कोई भी विधान संघ अथवा राज्य द्वारा पारित नहीं किया गया है। इस मामले में मध्य प्रदेश सरकार ने मध्य प्रदेश आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम 1990 के अंतर्गत कार्रवाई की है। न्यायालय ने यह निर्णय किया कि यह अधिनियम केवल ऐलोपैथिक चिकित्सा पद्धति पर ही लागू होता है तथा न्यायालय ने यह कहा कि न्यायालय के ध्यान में कोई और विधि नहीं लाई गई थी। जब तक इस शाखा को विनियमित करने के लिए कोई वैद्य कानून नहीं बनाया जाता तब तक याचिकाकर्ता को वैकल्पिक चिकित्सा पद्धति में प्रैक्टिस करने अथवा शिक्षा प्रदान करने से रोकना गैर कानूनी है।
- (v) रिट याचिका संख्या 2462/08 में जबपुर बैंच, ग्वालियर में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय का आदेश जिसमें दिशानिर्देश दिए गए थे कि रिट याचिका 2957/94 में आदेश लागू होंगे।

उपर्युक्त के अलावा दसई चौधरी, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण उपमंत्री द्वारा दिनांक 17.06.1991 को श्री जगन्नाथ सिंह, सांसद को भेजा गया अर्द्ध शासकीय पत्र संख्या 2921 / डीएम (एच एंड एफ डब्ल्यू) 91 / वीआईपी को भी संलग्न किया गया है, जिसमें कहा गया है कि:

“मैंने भारत में इलेक्ट्रोपैथी के विकासात्मक संवर्द्धन और अनुसंधान के लिए एनईएचएम इंडिया को प्राधिकृत किया है।”

4— भारत सरकार द्वारा महानिदेशक आईसीएमआर की अध्यक्षता में गठित ‘विशेषज्ञ स्थाई समिति’ की सिफारिशों के आधार पर आदेश संख्या आर० 14015 / 25 / 96— यू एंड एच (आर) (पार्ट) दिनांक—25 नवंबर, 2003 जारी किया गया है। इस समिति की सिफारिशों के आधार पर भारत सरकार ने निम्नलिखित आदेश दिए हैं:

समिति ने आयुर्वेद, सिद्धा, यूनानी, होम्यापैथी और योग एवं नैयुरोपैथी, जिन्हें चिकित्सा पद्धति की मान्यता संबंधी समिति द्वारा तैयार किए गए अनिवार्य एवं वांछनीय मानदंड पूरा करते हुए पाया गया था, के सिवाय वैकल्पिक पद्धतियों को मान्यता प्रदान करने की सिफारिश नहीं की थी।

समिति ने यह और सिफारिश की थी कि पृथक पद्धति के रूप में मान्यता प्रदान न की गई चिकित्सा पद्धतियों को पूर्णकालिक स्नातकपूर्व और स्नातकोत्तर डिग्रियां जारी रखने हेतु अनुमति प्रदान नहीं की जानी चाहिए तथा डाक्टर शब्द का प्रयोग भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त चिकित्सा पद्धति के प्रैक्टिशनरों द्वारा ही किया जाना चाहिए। थेरेपी के रूप में माने जाने वाली पद्धति पंजीकृत चिकित्सा प्रैक्टिशनरों के लिए प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम के रूप में की जा सकती है।

तथापि समिति ने सिफारिश दी की थेरेपी के रूप में अर्हक एक्यूपंक्वर जैसी कतिपय प्रैक्टिसों को पंजीकृत प्रैक्टिशनरों अथवा उचित रूप से प्रशिक्षित कार्मिकों द्वारा प्रैक्टिस करने हेतु अनुमति दी जा सकती है।

अनिवार्य और वांछनीय मानक के आधार पर समिति ने इलेक्ट्रोपैथी को चिकित्सा पद्धति के रूप में अर्हक होना नहीं पाया। अतः यह स्पष्ट है कि इस आदेश के अनुसार इलेक्ट्रोपैथी पूर्णकालिक स्नातकपूर्व और स्नातकोत्तर डिग्री संचालित नहीं कर सकती है तथा इसकी प्रैक्टिस करने वाले “डॉक्टर” शब्द का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं।

एनईएचएम, द्वारा प्रस्तुत किए गए दस्तावेज के अनुसार एनईएचएम डिप्लोमा और सर्टिफिकेट पाठ्यक्रम संचालित कर रहा है न कि पूर्णकालिक स्नातकपूर्व और स्नातकोत्तर डिग्री पाठ्यक्रम।

जहां तक उनके द्वारा चलाए जा रहे पाठ्यक्रमों को मान्यता प्रदान करने का संबंध है यह स्पष्ट किया जाता है कि आयुर्विज्ञान परिषद्

जैसा संबद्ध निकाय / सांविधिक निकाय पाठ्यक्रमों को मान्यता प्रदान करता है। चूंकि इलेक्ट्रोपैथी को चिकित्सा पद्धति के रूप में मान्यता प्राप्त नहीं है अतः स्वास्थ्य मंत्रालय में उनके द्वारा संचालित किसी भी पाठ्यक्रम को मान्यता प्रदान करने की प्रणाली नहीं है।

एनईएचएम ने ऐसा कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है जिसके अनुसार यह चिकित्सा पद्धति को मान्यता प्रदान करने के लिए समिति द्वारा तैयार किए गए अनिवार्य और वांछनीय मानकों की पूर्ति करता हो।

तथापि दिनांक 25 नवंबर, 2003 का आदेश संख्या आरो 14015/25/96-यू एंड एच (आर) (पार्ट) इलेक्ट्रोपैथी के विकास और अनुसंधान को प्रतिष्ठेध नहीं करता है।

यहां उद्धृत मात्रा उच्च न्यायालय और मात्रा सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों के अनुसार “तब तक याचिकाकर्ताओं को इलेक्ट्रोपैथी में प्रैक्टिस करने अथवा शिक्षा देने से रोकने के लिए कोई प्रस्ताव नहीं है जब तक कि यह दिनांक 25 नवंबर, 2003 के आदेश संख्या आरो 14015/24/96-यू एंड एच (आर) (पार्ट) के प्रावधान से किया जाता हो। मेडिसिन की नई पद्धतियों को मान्यता प्रदान करने के विधान का अधिनियम होने के पश्चात् किसी भी क्रियाकलाप अथवा शिक्षा को उक्त अधिनियम के अनुसार विनियमित किया जाएगा।”

5— शासनादेश सं0 1151/5-6-11-डब्लू (दि0 18.04.11 द्वारा इलेक्ट्रो होम्योपैथी डिग्री धारकों को प्रैक्टिस करने की अनुमति तथा डाक्टर शब्द प्रयोग करने की अनुमति दिये जाने का औचित्य नहीं पाया गया, परन्तु मात्रा उच्च न्यायालय द्वारा उपर्युक्त रिट याचिका में पारित आदेश दिनांक 18-05-11, में याची का प्रत्यावेदन निस्तारित करने के आदेश दिये गये हैं और याची द्वारा अवगत कराया गया है कि बोर्ड आफ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन उ०प्र०, भारत सरकार के आदेश दिनांक 025.11.03 एवं 05.05.10 के अनुसार ही समान अवधि के समान पाठ्यक्रम संचालित कर इलेक्ट्रो होम्योपैथी पद्धति की शिक्षा, चिकित्सा, रजिस्ट्रेशन, अनुसंधान एवं विकास हेतु कार्य करता है।

अतः उपर्युक्त रिट याचिका संख्या 4688/2011, यू०पी० डेवलपमेन्ट आफ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन बनाम उ०प्र० राज्य व अन्य के संबंध में मात्रा उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 18.05.11 के अनुपालन में याची मोहम्मद हाशिम इदरीसी चेयरमैन, बोर्ड आफ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन उ०प्र० द्वारा प्रेषित प्रत्यावेदन दिनांक 15.12.11 भारत सरकार द्वारा पारित आदेश संख्या

(6)

V25011/276/2009-HR- दिनांक 05.05.10 के अनुसार
एतद्वारा निम्नवत् निस्तारित किया जाता है:-

“तब तक याचिकाकर्ताओं को इलेक्ट्रोपैथी में प्रैक्टिस करने एवं शिक्षा देने से रोकने के लिये कोई प्रस्ताव नहीं है, जबतक कि यह दिनांक 25.11.03 के आदेश संख्या-आर-14015/24/96 यू०एण्ड एच० (आर) (पार्ट) के प्राविधान से किया जाता हो। मेडिसिन की नई पद्धतियों को मान्यता प्रदान करने के विधान का अधिनियम होने के पश्चात किसी भी किया कलाप अथवा शिक्षा को उक्त अधिनियम के अनुसार विनियमित किया जायेगा।”

संजय अग्रवाल
प्रमुख सचिव।

संख्या- २१८ (1) / पॉच-6-10 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही
हेतु प्रेषितः-

- 1— निजी सचिव, प्रमुख सचिव चिकित्सा शिक्षा, उत्तर प्रदेश,
शासन, लखनऊ।
 - 2— महानिदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उत्तर प्रदेश,
लखनऊ।
 - 3— महानिदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ०प्र०
शासन, लखनऊ।
 - 4— निदेशक प्रशासन, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उत्तर प्रदेश,
लखनऊ।
 - 5— समस्त अपर निदेशक / मुख्य चिकित्साधिकारी।
- मोहम्मद हाशिम इदरीसी चेयरमैन बोर्ड आफ इलेक्ट्रो
होम्योपैथिक मेडिसिन उ०प्र०, टंडन मार्केट, 8 लालबाग, लखनऊ,
प्रा०शा० कार्यालय-127/204, “एस” जूही, कानपुर।

आज्ञा से,
(राजेन्द्र कुमार गोयल)
विशेष सचिव।